तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या– 201/2025 अंतर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2025/258)

अनवान:

1. गुरमीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 23 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल चक 9 एमसी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. राज पुरी पुत्र गोपाल पुरी जाति गुसाई निवासी वार्ड नं. 7, थालड़का बारानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सरपंच ग्राम पंचायत गोपालसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

05.01.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 09.10.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपति प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक रेस्पो. ने प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए अवगत कराया कि उपरोक्त अनवान की अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 09.10.2025 के विरूद्ध पेश है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश एक अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश की अपील कानूनन पेश नहीं की जा सकती, न ही सुनी जा सकती। इस कारण अपील चलने योग्य नहीं है। वादगत भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा है। अतः आपति पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश होने के कारण अपील में जारी स्थगन खारिज फरमाया जावे व अपील लौटाई जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र बहस करते हुए अवगत कराया कि अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। वादगत भूमि पर अपीलांट का कब्जा है। अतः अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश प्राथमिक आपति खारिज की जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दंस्तावेजों व अभिभाषक रेस्पोडेट सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपति प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष द्वारा की गई प्रार्थना पत्र बहस पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 09.10.2025 के विरूद्ध अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय की प्रत्रावली व अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेश जैर अपील एक अंतरिम आदेश है। ऐसी स्थिति में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर